BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक- 27 नवम्बर, 2023 **थाना अरनिया**

02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 02 मोबाइल, चोरी किया गया अन्य सामान व अवैध चाकू आदि बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 26/27.11.2023 को थाना अरनिया पुलिस द्वारा गश्त के दौरान कान्हा होटल के पास से 02 शातिर चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल व चोरी के दो मोबाइल तथा 02 अवैध छुरी सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो की निशाहदेही पर पास के गन्ने के खेत से चोरी का अन्य सामान भी बरामद किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अरनियाँ पर मुअसं- 277/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- कपिल पुत्र छत्रपाल निवासी मौ0 अलीनगर थाना गाँधी पार्क जनपद अलीगढ ।

2- दीपक पुत्र गया प्रसाद निवासी मौ0 कोछेड थाना गाँधी पार्क जनपद अलीगढ।

बरामदगी-

1. 07 सीलिंग फैन बिना ब्लेड
2. 24 ब्लेड सीलिंग फैन
3. 01 बैटरी
4. 01 इनवर्टर
5. 01 एलसीडी
6. 02 अवैध छुरी
7. 02 मोबाइल
8. एक मोटरसाइकल हीरो स्पेलण्डर प्लस नं0- यूपी13-सीडी- 6778

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बरामद मोटरसाइकिल व मोबाइल को दिनाँक 20/21.11.2023 की रात्री में थाना अरनियाँ क्षेत्र के ग्राम बलराऊ से चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना अरनियाँ पर मुअसं 274/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बरामद सीलिंग फैन व उनकी पंखडियों को दिनाँक 23/07/2023 थाना अरनियाँ क्षेत्र के गाँव कहरौला के एक अस्पताल से चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना अरनियाँ पर मुअसं 178/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बरामद एलईडी, इन्वर्टर बैटरी को दिनांक 26.11.2023 को थाना अरनियाँ क्षेत्र के ग्राम मुनी से ढकपुरा वाले रास्ते पर एक घर से चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना अरनियाँ पर मुअसं 246/23 धारा 457,380 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 288/20 धारा 380 भादवि थाना गाँधी पार्क जनपद अलीगढ।
2. मुअसं- 289/20 धारा 411/414 भादवि थाना गाँधी पार्क जनपद अलीगढ।
3. मुअसं-277/23 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना अरनियाँ जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-274/23 धारा 379 भादवि थाना अरनियाँ जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 178/23 धारा 380 भादवि थाना अरनियाँ जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 246/23 धारा 457,380 भादवि थाना अरनियाँ जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री लोकेश अग्निहोत्री थानाध्यक्ष अरनियां।
2. उ0नि0 पवन मलिक, उ0नि0 शिवम शर्मा।
3. का0 सुमित कुमार, का0 अंकुश कुमार, का0 विनय कुमार

मीडिया सैल बुलन्दशहर